

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 34/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 20.09.2021

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

| क्र. सं. | नोटिसी का नाम एवं पता  | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक  | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम  | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी   |
|----------|--|--|--|---|
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   |
| 1.       | मै. विसाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.,<br>टाउन हाल के सामने,<br>फिशिंग हार्बर के निकट,<br>बीच रोड,<br>विसाखापटनम-530001.       | फ़ा. सं. S22/10/2021-<br>SIIB दिनांक 28.06.2021.<br><br>(एससीएन सं. 04/2021) | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क,<br>कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया,<br>विसाखापटनम.                    | प्रधान आयुक्त/<br>आयुक्त सीमाशुल्क,<br>कस्टम हाउस,<br>पोर्ट एरिया,<br>विसाखापटनम        |
| 2.       | मै. पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रा. लि.,<br>साउथ ऑयल के सामने,<br>गेट सं. 5 के पास,<br>पारादीप पोर्ट,<br>ओडिशा-754142 | फ़ा. सं.<br>VIII(10)07/SCN/PICT/<br>CUS(P)/BBSR/2021<br>दिनांक 27.07.2021.   | प्रधान आयुक्त/ आयुक्त<br>सीमाशुल्क (निवारक),<br>जीएसटी भवन, राजस्व विहार,<br>भूबनेश्वर | (तालिका के क्रम सं.<br>1 और 2 के लिए)   |
| 3.       | मै. मुद्रिका सिरेमिक्स (I)<br>लि.,<br>461, जीआईडीसी,<br>पीओआर NH-8,<br>डिस्ट्रिक्ट-वडोदरा,<br>गुजरात-391243                  | फ़ा. सं.VIII/10-03/Pr.<br>Commr./O&A/2021-22-<br>DRI दिनांक 15.06.2021.      | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क,<br>कस्टम हाउस,<br>ऑल इंडिया रेडियो के निकट,<br>अहमदाबाद.      | प्रधान आयुक्त<br>सीमाशुल्क,<br>कस्टम हाउस,<br>ऑल इंडिया रेडियो के<br>निकट,<br>अहमदाबाद. |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    | और 10 अन्य.   |  |   |   |
| 4. | मै. मुद्रिका सिरेमिक्स (I) लि.,<br>461, जीआईडीसी,<br>पीओआर NH-8,<br>डिस्ट्रिक्ट-वडोदरा,<br>गुजरात-391243<br>और 2 अन्य.  | फ़ा. सं.S/26-Misc.488/<br>2021-22/Gr.I& IA<br>दिनांक 30.06.2021.<br><br>(एससीएन सं. 236/2021-<br>22 Gr. I&IA | सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क<br>(गुप I एवं IA), न्हावा शेवा-I,<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,<br>रायगढ़.  | (तालिका के क्रम सं.<br>3 और 4 के लिए)                                       |
| 5. | मै. गोल्ड प्लस ग्लास<br>इंडस्ट्री लिमिटेड,<br>पंजीकृत कार्यालय:<br>4 <sup>था</sup> तल, किंगस मॉल,<br>सेक्टर-10, रोहिणी,<br>नई दिल्ली-110085<br>और<br>फ़ैक्टरी परिसर:<br>गोल्ड प्लस इंड. इस्टेट,<br>विल्लेज-तिठोला,<br>परगना मंगलौर,<br>तहसील-रुड़की,<br>उत्तराखंड<br><br>और 2 अन्य. | फ़ा. सं.DRI/AZU/GI-02/<br>Enq-05/Int-01/2020<br>दिनांक 17.07.2021  | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क<br>(न्हावा शेवा-II),<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,<br>रायगढ़.<br><br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त<br>सीमाशुल्क, आईसीडी-लोनी,<br>कोंकोर कॉम्प्लेक्स,<br>नोएडा.<br><br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त<br>सीमाशुल्क,<br>आईसीडी-पटपरगंज,<br>दिल्ली.<br><br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त<br>सीमाशुल्क (आयात),<br>आईसीडी-तुगलाकबाद,<br>नई दिल्ली.<br><br>सहायक/ उप आयुक्त सीमाशुल्क,<br>एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>नई दिल्ली.<br><br>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त<br>सीमाशुल्क (आयात-I),<br>न्यू कस्टम हाउस, बललाई इस्टेट,<br>मुंबई. | अपर महानिदेशक<br>(न्याय निर्णयनन),<br>राजस्व आसूचना<br>निदेशालय,<br>दिल्ली. |

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2021]

(भारती शर्मा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें